न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./17/2024

1. मोहन लाल पुत्र लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बांस नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली

प्रार्थीयां

बनाम

1. हीरा पुत्र अन्ना जाति गुर्जर निवासी चावण्ड़िया तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
2. रामदेव पुत्र जीवण जाति बैरवा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. राधेश्याम पुत्र जीवण बैरवा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रमेश पुत्र जीवण जाति बैरवा निवासी अमरगढ़ तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.06.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी– श्री गजानन्द सिंह रावत
2. वकील अप्रार्थी– श्री सुनील कुमार वैष्णव
2 . पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 345 में दर्ज खसरा नं. 230/2241 रकबा 1.22 कुल किता 01 कुल रकबा 1.22 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील वैष्णव द्वारा वकालतनामा पेश कर पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से पथरगढ़ बाबत् अपनी सहमति प्रकट की गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 01 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। अधिवक्ता श्री सुनील वैष्णव द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की और से पत्थरगढ़ बाबत् अपनी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सहमति प्रकट की। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 भू0रा0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम अमरगढ़ के खाता संख्या 345 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा अमरगढ़ पटवार क्षेत्र रूपपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 345 में दर्ज खसरा नं. 230/2241 रकबा 1.22 कुल किता 01 कुल रकबा 1.22 हैक्ट** हेतू नायब बान्दनवाड़ा भिनाय को 500/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)